



F-07-08  
F-07-11

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**  
**IS/ISO: 9001:2008**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
**DEFENCE R&D ORGANISATION**  
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
**MINISTRY OF DEFENCE**  
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु  
**MARATHAHALLI COLONY P.O**  
**BENGALURU - 560 037.**

**वर्ग अनुमोदन सं. : 1677 का संशोधन सहीत नवीकरण**  
**Amendment cum Renewal of Type Approval Number 1677**

विषय / Sub : ग्राउंड रिफ्यूलिंग पैनल (जी आर पी), आई जे टी वायुयान हेतु पार्ट सं. 2397 00 000  
**Ground Refueling Panel (GRP), Part Number: 2397 00 000 for IJT Aircraft**

यह घोषित किया जाता है कि एरोस्पेस सिस्टम्स एंड इक्विपमेंट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर (एएसईआरडीसी), मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, लखनऊ- 226 016, द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित " ग्राउंड रिफ्यूलिंग पैनल (जी आर पी) " पार्ट सं.:2397 00 000 को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1677, दिनांक 27 सितंबर 2011, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1677 जारी किया गया था जिसकी वैधता 30 जून 2016 तक था।

*This is to state that the "Ground Refueling Panel (GRP)" bearing the Part No.: 2397 00 000, designed, developed and manufactured by Aerospace Systems & Equipment Research & Design Centre (ASERDC), M/s. Hindustan Aeronautics Limited, Lucknow – 226 016 was issued with Type Approval No.: 1677 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1677, dated: 27<sup>th</sup> September 2011 with its validity up to 30<sup>th</sup> June 2016.*

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 दिसंबर 2016 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 30 नवंबर 2021 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (3) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (लखनऊ), सेमिलैक, लखनऊ-226 016, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

*This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01<sup>st</sup> December 2016 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30<sup>th</sup> November 2021 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Lucknow), CEMILAC, Lucknow – 226 016, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.*

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1677, दिनांक 27 सितंबर 2011 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (04) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

*The Para four (04) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1677, dated: 27<sup>th</sup> September 2011 is amended as stated herewith.*

“[अगर इस संलग्न टाइप रिकॉर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

*“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.*

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगे।

*All other conditions stipulated in the initial type approval letter remain unaltered, and fully applicable.*

सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1677/1R

दिनांक / Date : 07 March 2017

फैक्स सं. / Fax No.: 080-25230856

*Amal*

*Amal*

(पी. जयपाल / P. JAYAPAL)  
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)  
Chief Executive (Airworthiness)